न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/59/2024   रजू दिनांकः 08.04.2024   रजि0 न0 2024/95

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री चन्दन कौशिक, निवासी प्लॉट नं0 307 के सामने, कौशिक भवन, स्कीम नं0 4, अलवर, जिला अलवर (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 22.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/527 दिनांक 09.04.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 14.02.2024 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक 469 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि प्रकरण जिला परिषद अलवर द्वारा प्रेषित यात्रा भत्ता बिल्स, निजी आय से भुगतान हेतु प्रेष्हित बिल्स व भुगतान संबंधी/स्वीकृति आदेशादि के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर से प्राप्त सूचना के आधार पर अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रकाश में संधारित अभिलेखानुसार पत्र सं0 469 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर (अभिलेख संधारण के अभाव में सूचना शून्य में प्रेषित) संसूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)